यल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म के में जा	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
		5/22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी द्वारा लिखित तहसीलदार राशमी द्वारा पत्रांक 1/2022/426 दिनांक 6/4/22 से रिपोर्ट प्राप्त हुई लिखित रिपोर्ट पर विचार किया। तहसीलदार राशमी द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया की उक्त प्रकरण में पूर्व में ही नामान्तकरण संख्या 1392 निर्णय दिनांक 23/9/2020 एवं नामान्तकरण सं0 16/3 निर्णय दिनांक पुनः 2021 से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी विवाद हो चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार राशमी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामे से निपटारा हो चुका है। पत्रावली में कोई कार्यवाही लम्बित नहीं रहने से पत्रावली में आगे कोई शेष नहीं रहने से पत्रावली विधिक कार्यवाही का भी स्तर पर डिस्पोजल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अधिवक्ता वादी का वाद C3-18 [illegible] 1955 के विरोध में खारिज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णीत की जाकर अपील अवधि की समाप्ति उपरान्त आवश्यक कार्यवाही के बाद अभिलेखागार रखी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

(नीता कसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2022.05.31 16:07:19 IST
Reason: SelfAttested